न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 106 / 2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023 / 498

1. जीत सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति नाई निवासी 6 एमके ए तहसील रायसिंहनगर

—अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

1. श्री राकेश कुमार गोदारा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. राजपैरोकार एवं उपतहसीलदार समेजा कोठी, प्रत्यर्थी

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 25/7/2024.

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. अपील प्रकरण पूर्ववर्ती न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर (प्र.सं. 42 / 22) से क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज किया गया। अपीलार्थी के द्वारा यह अपील प्रत्यर्थी उपतहसीलदार मुकलावा के आदेश दिनांक 30.10.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं जिसके द्वारा अपीलार्थी का अपीलाधीन भूमि चक 6 एमके ए तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 25 व 8 में कुल 1.279है. भूमि का वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने का आदेश निरस्त किया गया हैं।
2. अपील दर्ज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश संबंधित अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थी की अपील पर बहस सुनी गयी। अपीलार्थी अधिवक्ता अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.07.2018 को आवेदन किया था और स्वयं पैरवी कर रहा था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसके हर पेशी पर नहीं आकर दो चार माह में पता लेने को कहा था अपीलांट हदय रोग से ग्रसित हैं। अपीलार्थी को डॉक्टर द्वारा पूर्ण विश्राम की हिदायत दी गयी दिनांक 18.09.2019 को अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण की जानकारी ली तो दिनांक 30.10.2018 को प्रकरण का निर्णय होने का ज्ञान हुआ जिसके उपरान्त नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश की हैं, अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा कर अन्दर मियाद ग्रहण करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी के पिता करनैल सिंह के द्वारा अपीलाधीन भूमि की वसीयत दिनांक 24.11.2015 को प्रार्थी के पक्ष में की गयी जो नोटरी द्वारा तस्दीक है जिसके आधार पर इंतकाल दर्ज करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन किया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयतकर्ता को भूमि स्वअर्जित प्राप्त न होकर विरास्तन प्राप्त होने के आधार पर अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के गवाहान से साक्ष्य नहीं लिये गये। आलौच्य आदेश विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्त करने हेतु निवेदन किया। प्रत्यर्थी अपनी बहस में कथन किया कि अपील बाहर मियाद पेश की गयी हैं तथा आलौच्य आदेश विधि सम्मत हैं वसीयतकर्ता को भूमि विरास्तन प्राप्त हुई थी जिसके साक्ष्य स्वरूप दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध हैं। भूमि स्वअर्जित नहीं होने के कारण वसीयतकर्ता को भूमि के संबंध में वसीयत करने का अधिकार नहीं था इसलिए अपीलार्थी का आवेदन खारिज किया गया हैं। अपील सारहीन हैं। अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरआरडी फेब. 2024 पृष्ठ सं. 60 की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी।
3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अध्ययन

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

किया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी जीत सिंह द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज किये जाने का आवेदन पेश किया गया। पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर भूमि स्वः अर्जित होने का साक्ष्य वारिसान से लिया जाना उचित होने का अंकित किया गया। अधिनस्थ न्यायायल द्वारा सार्वजनिक सूचना दिनांक 11.07.2018 को जारी की गयी। इस पर दिनांक 07.08.2018 को मलकीत सिंह पुत्र करनैल सिंह द्वारा एतराज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि करनैल सिंह को उनके पिता बदन सिंह से विरासत में मिलने के कारण वसीयत प्रकरण को खारिज कर भूमि का विरास्तन नामान्तरण दर्ज करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया। दिनांक 30.08.2018 को पुनः मलकीत सिंह के द्वारा ऐतराजात प्रस्तुत किये गये। इसके उपरान्त दिनांक 24.09.2018 को पुनः मलकीत सिंह व छिन्द्र कौर, जोगिन्द्र कौर पिसरान करनैल सिंह द्वारा आपति पत्र प्रस्तुत कर इन्तकाल दर्ज नहीं करने हेतु आवेदन किया गया। अप्रार्थी मलकीत सिंह के द्वारा छायाप्रतियां नामान्तरण की प्रस्तुत की गयी जिसके द्वारा बचन सिंह से भूमि विरासत आधार पर करनैल सिंह के नाम से दर्ज हुई है। इस दिनांक 30.10.2018 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस आधार पर अपीलार्थी का वसीयत आधार पर नामान्तरण दर्ज करने का आवेदन निरस्त कर दिया कि वसीयतकर्ता द्वारा भूमि स्वअर्जित न होकर विरासत से प्राप्त हुई हैं। जिसके विरूद्व यह अपील पेश की गयी हैं।

4. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2018 को पारित किया गया हैं जिसकी जानकारी अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18.09.2019 को होने का अंकन किया गया हैं। अपीलार्थी द्वारा अपील पत्र के साथ प्रस्तुत प्रमाणित प्रतियां भी दिनांक 18.09.2019 को जारी की गयी हैं। अपीलार्थी के द्वारा कथन किया गया हैं कि वे हदय रोग से ग्रसित होने के कारण पूर्ण विश्राम पर होने से अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु निवेदन किया गया हैं। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अपील के साथ दस्तावेज डॉक्टर की पर्चीयां प्रस्तुत की गयी हैं। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जाती हैं।
5. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मलकीत सिंह आदि द्वारा आपत्ति जाहिर की गई जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के दस्तावेजों के आधार पर निर्णय पारित किया हैं अतः प्रकरण धारा 135(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का होने के कारण इस न्यायालय में अपील पोषणीय नहीं हैं। मलकीत सिंह आदि द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज किये जाने के संबंध में आक्षेप प्रस्तुत किया गया हैं। मलकीत सिंह आदि प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं जिन्हें अपीलार्थी द्वारा अपील में बतौर प्रत्यर्थी पक्षकार संयोजित नहीं किया गया हैं। साथ ही अपीलार्थी के द्वारा अपील में अपीलाधीन भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में स्थगन आदेश के संबंध में उल्लेख किया हैं परन्तु वाद पत्र के संबंध में मौन हैं। ऐसी स्थिति में अपील खारिज किये जाने याग्य हैं।
6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 25/7/2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़.

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)